

कार्यालय रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान,
जयपुर

क्रमांक : फा.15(45)सविरा / नियम / सह.भर्ती बोर्ड / 2017

दिनांक : 13.4.2018

आदेश

(राजस्थान सहकारी सोसाइटी नियम, 2003 के नियम 39-क के अन्तर्गत)

इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक 28.12.2017 में आंशिक संशोधन करते हुए राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 की धारा 29(ख)सहपठित राजस्थान सहकारी सोसायटी नियम, 2003 के नियम 39-क के प्रावधानात्तर्गत सहकारी सोसाइटियों के कर्मचारियों की चयन प्रक्रिया एवं भर्ती की अनुशंसा हेतु गठित सहकारी भर्ती बोर्ड के बिन्दु संख्या (ii) पर वर्णित नामनिर्देशिती अधिकारी हेतु मैं अभय कुमार, रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ, राजस्थान, मुझमें निहित राजस्थान सहकारी सोसाइटी नियम, 2003 के नियम 39-क की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त वर्णित बोर्ड में रजिस्ट्रार के प्रतिनिधि के रूप में मोनेटरिंग ऑफिसर, आई.सी.डी.पी., प्रधान कार्यालय, जयपुर के स्थान पर अतिरिक्त पंजीयक (बैंकिंग), प्रधान कार्यालय, जयपुर को नाम निर्देशित करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 13/4/18 को मेरे हरताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा अकित कर जारी किया गया।



क्रमांक : फा.15(45)सविरा / नियम / सह.भर्ती बोर्ड / 2017

अभय कुमार
रजिस्ट्रार

दिनांक : 13.4.2018

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय सहकारिता मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ, राजस्थान, जयपुर।
4. अतिरिक्त रजिस्ट्रार(प्रथम / द्वितीय), सहकारी समितियाँ, राजस्थान, जयपुर।
5. मोनेटरिंग ऑफिसर, आई.सी.डी.पी., प्रधान कार्यालय, जयपुर
6. अतिरिक्त रजिस्ट्रार(बैंकिंग), प्रधान कार्यालय, जयपुर।
7. निदेशक, राईसेम, जयपुर।
8. वरिष्ठ प्रचार अधिकारी, प्रधान कार्यालय, जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
9. गार्ड पत्रावली।

संयुक्त रजिस्ट्रार (नियम)